



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2026—फाल्गुन 1, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026

क्र. ई- 5-576-आयएस-लीव-5-एक.—डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, एवं प्रबंध संचालक नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 27 जनवरी से 6 फरवरी 2016 तक, ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 24, 25, 26 जनवरी एवं 7, 8 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए, उन्हें दिनांक 24 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक, पन्द्रह दिवस के एक्स-इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे, द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष सिंह, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(7) यदि डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2026

क्र. ई. एफ 1-1-1-0259-2025-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री शशीन्द्र चौहान, भापुसे (2010), उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर, रेंज सागर को दिनांक 2 से 13 फरवरी 2026 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तथा 14-15 फरवरी, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री शशीन्द्र चौहान, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर, रेंज सागर का चालू कार्य श्री विकास कुमार शाहवाल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शशीन्द्र चौहान, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर, रेंज सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री शशीन्द्र चौहान, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री शशीन्द्र चौहान, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशीन्द्र चौहान, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2026

क्र. ई-1-1-1-0367-2025-B-2-II-(HOM).—राज्य शासन द्वारा श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन, जबलपुर की पुत्री सुश्री दिया वर्मा को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 21 से 27 दिसम्बर 2025 तक, कुल सात दिवस में भारत भ्रमण नई दिल्ली से जबलपुर वाया बैंगलुरु की यात्रा पर जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

क्र. ई. एफ 1-1-1-0422-2025-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2025 को निरस्त करते हुए, श्री के. पी. वेंकाटेश्वर राव, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 दिसम्बर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक, कुल सत्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं 20-21 दिसम्बर, 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री के. पी. वेंकाटेश्वर राव, भापुसे की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, को-आपरेटिव फ्राइड, लोसेग, आर.टी.आई. एवं पुमै, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकाटेश्वर राव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. पी. वेंकाटेश्वर राव, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकाटेश्वर राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकाटेश्वर राव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2026

क्र.-1-1-1-0171-2025-B-2-दो-(HOM).—राज्य शासन द्वारा श्रीमती उर्वशी सेंगर, परिवीक्षाधीन, भापुसे जिला मुरैना को संतान पालन करने हेतु दिनांक 15 फरवरी से 15 अप्रैल 2026 तक कुल साठ दिवस का संतान पालन अवकाश (CCL) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्वशी सेंगर, परिवीक्षाधीन, भापुसे, जिला मुरैना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, जिला मुरैना में पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्वशी सेंगर, परिवीक्षाधीन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्वशी सेंगर, परिवीक्षाधीन, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर नहीं रहतीं।

क्र. ई-1-1-1-0421-2025-B-2-दो-(HOM).—राज्य शासन, द्वारा श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रा.अ.अ.ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के विस्तार वर्ष 2025 (पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्डवर्ष 2026-29 में केरीफार्वर्ड करते हुए) दिनांक 4 से 9 फरवरी 2026 तक, कुल छह दिवस अर्जित अवकाश में गृह नगर पर रांची, झारखण्ड की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान करता है:—

1. श्री जयदीप प्रसाद — स्वयं
2. श्रीमती भारती प्रसाद — पत्नी

(2) श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रा.अ.अ.ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री चंचल शेखर, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विसबल), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रा. अ. अ. ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

संशोधित आदेश

क्र. ई. एफ-1-1-1-0454-2025-B-दो-(HOM).—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को निरस्त करते हुए, श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक/सेनानी, आर. ए. पी. टी. सी., इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 6 से 15 नवम्बर 2025 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 एवं 16 नवम्बर, 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार सहित केरल एवं तमिलनाडु की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया — स्वयं
2. श्रीमती सीमा सिंह भदौरिया — पत्नी
3. श्री आयुष सिंह भदौरिया — पुत्र
4. श्री श्रेयस सिंह भदौरिया — पुत्र

(2) श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक / सेनानी, आर. ए. पी. टी. सी., इन्दौर का चालू कार्य श्री मनोज श्रीवास्तव, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, पी. आर.टी.सी. इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक/सेनानी, आर. ए. पी. टी. सी., इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2026

फा. क्र. ई-1075427-इक्कीस-ब(एक)-2026.—अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित जिले के लिए, कॉलम (3) में उल्लिखित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

सारणी

अनु.क्र.	जिले का नाम	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
"7.	उमरिया	श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया."

F. No. E-1075427-XXI -B (1)-2026.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints Principal District and Sessions Judge mentioned in column (3) as Special Judge for the Districts mentioned in column (2) of the Table given below, to try the offences under the said Act, namely :—

TABLE

S. No.	Name of District	Name and designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
"7.	Umaria	Shri Priyadarshan Sharma, Principal District and Sessions Judge, Umaria."

फा. क्र. E-1086344 -इक्कीस-ब(एक)-2026.—वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 3क के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)-17-2016-इक्कीस-ब(एक)-1888-2019, दिनांक 2 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे सारणी के कॉलम संख्या (3) में दर्शित जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को, उसके कॉलम (2) में दर्शित जिला एवं उसके अधीन आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए वाणिज्यिक अपील न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

सारणी

अनु.क्र.	जिला	न्यायाधीश-जिला न्यायाधीश स्तर
(1)	(2)	(3)
"2.	भोपाल	श्री अजय पेंदाम, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश."

F. No. E-1086344-XXI -B (1)-2026.—In exercise of the power conferred by Section 3 of the Commercial Courts Act 2015 (4 of 2016) and in light of this department's Notification F. No. 17(E)-17-2016-XXI-B (1) 1888-2019, dated 2nd April, 2019 issued under section 3A of said Act, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 12th April, 2019, the State Government, with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designate the Judicial Officer at District Judge Level shown in column (3) of the Table below, for the District shown in column (2) thereof and District falling under it, to be a Judge of Commercial Appellate Court to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes, namely :—

TABLE

S. No.	District	Judge-District Judge Level
(1)	(2)	(3)
"2.	Bhopal	Shri Ajay Pendam, II nd Additional Judge to the Court of I st District and Additional Sessions Judge, Bhopal."

फा. क्र. E-1086344 -इक्कीस-ब(एक)-2026.—वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)-17-2016-इक्कीस-ब(एक)-1888-2019, दिनांक 2 अप्रैल 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य, न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दर्शित जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को, उसके कॉलम (2) में दर्शित जिले एवं उसके अधीन आने वाले जिलों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनु.क्र.	जिला	न्यायाधीश-जिला न्यायाधीश स्तर
(1)	(2)	(3)
"2.	भोपाल	श्री अजय पेंदाम, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश."

F. No. E-1086344-XXI -B (1)-2026.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 (4 of 2016) and in light of this department's Notification F. No. 17(E)-17-2016-XXI-B (1) 1888-2019, dated 2nd April, 2019 issued under sub-section (3) of Section 3 of the said Act, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 12th April 2019, the State Government, with the concurrence of Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Officer at District Judge Level shown in column (3) of the Table below, for the District shown in column (2) thereof and District falling under it, to be a Judge under sub-section (3) of Section 3 of the said Act, namely :—

TABLE

S. No.	District	Judge-District Judge Level
(1)	(2)	(3)
"2.	Bhopal	Shri Ajay Pendam, II nd Additional Judge to the Court of I st District and Additional Sessions Judge, Bhopal."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार पाठक, सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2026

संशोधित आदेश

फा. क्र. 747-E-1109879-2026-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री श्रीष कैलाश शुकुल, सत्रहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA), भोपाल में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 23 फरवरी, 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानांतरित आधार पर नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA), भोपाल को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2026

क्र. 400-4546822-2026-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भिण्ड	भिण्ड	श्रीमती आयुषी शर्मा, JMFC

No. 400-4546822-2026-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bhind	Bhind	Smt. Ayushi Sharma, JMFC

क्र. 402-4546742-2026-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कटनी	कटनी	श्रीमती चेतना झारिया, JMFC

No. 402-4546742-2026-L -2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Katni	Katni	Smt. Chetna Jhariya, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

क्र.-203-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	भोलगढ़	0.466	कार्यपालन लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा.	शहडोल जिले के अंतर्गत ब्यौहारी से कटनी वाया विजयसोता मार्ग के कि. मी. 37/10 में सोन नदी (विजयसोता) पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धरणेन्द्र कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 फरवरी 2026

पत्र क्र. 1126-भू-अर्जन-2026.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक / लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक / लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुड़	डिहुली	0.218	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र.).	रीवा जिले के रमपुरवा से डिहुली मार्ग में बिछिया नदी पर जलमग्नोय पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1150-भू-अर्जन-2026.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक / लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक / लोक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	रमपुरा	0.153	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र.).	रीवा जिले के रमपुरा से डिहुली मार्ग में बिछिया नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1147-भू-अर्जन-2026.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक / लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक / लोक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पटना	1.039	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र.).	रीवा जिले के अंतर्गत बरहा से पटना मार्ग में कांकरघाट नहीं अपितु नावघाट के कि.मी. 1/4 में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 11 दिसम्बर 2025

पत्र क्र. 813-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	खौर-2	0.250	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म. प्र.).	रीवा गड्डी मार्ग से ग्राम खौर से लोही सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 816-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	खौर-1	1.825	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म. प्र.).	रीवा गड्डी मार्ग से ग्राम खौर से लोही सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 819-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	उमरिहा	0.424	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म. प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 822-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	उकठी उर्फ हरिहरपुर	0.614	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म. प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 825-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	इटौरा	0.740	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म. प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 828-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	अल्लानगरी	0.388	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म. प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 831-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बरा-2	0.182	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म. प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 837-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	बहुरीबांध	4.373	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म. प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 840-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	इटहा	3.992	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म. प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 843-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	अजगरहा-1	1.300	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म. प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 29 दिसम्बर 2025**

प्रकरण क्रमांक 32/अ-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

(क)	जिला	—	पन्ना
(ख)	तहसील—		देवेन्द्रनगर
(ग)	ग्राम	—	मगेपुर
(घ)	क्षेत्रफल—		0.670 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	290	0.020	निजी
2	291	0.020	निजी
3	304	0.010	निजी
4	326	0.060	निजी
5	327ब	0.010	निजी
6	336	0.030	निजी
7	323	0.010	निजी
8	324	0.010	निजी
9	337ब	0.030	निजी
10	338	0.030	निजी
11	371	0.010	निजी
12	373	0.030	निजी
13	374	0.010	निजी

14	370	0.010	निजी
15	409	0.050	निजी
16	410	0.030	निजी
17	454	0.050	निजी
18	466	0.090	निजी
19	488/1	0.060	निजी
20	464	0.040	निजी
21	488/2/1	0.030	निजी
22	488/2/2	0.030	निजी
	योग	0.670	

- {2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :-- देवरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु छूटे हुए रकबो की भूमि का अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम भगेपुर तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना।
- {3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्रमांक-130-भू-अर्जन-2026

सिंगरौली, दिनांक 23 जनवरी 2026

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- रेलवे आर ओ बी निर्माण हेतु।
 (2) भूमि का वर्णन:-
 (क) जिला :- सिंगरौली
 (ख) तहसील :- देवसर
 (ग) ग्राम :- ढोगा पट.ह.नं. 29
 (घ) लगभग क्षेत्रफल :- निजी रकबा 0.935 हे०

क्र०	भूमिस्वामी/पिता/पति का नाम व पता	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अर्जित रकबा (हे० में)	टिप्पणी
1	सुमित्रा देवी बेवा रामचन्द्र तिवारी	776/1	0.043	0.0144	निजी भूमि
2	मंजू पुत्री रामचन्द्र तिवारी	776/2	0.043	0.0143	निजी भूमि
3	सुधीर पुत्र रामचन्द्र तिवारी	776/3	0.043	0.0143	निजी भूमि
4	रावेन्द्रनाथ पुत्र रामचन्द्र तिवारी	776/4	0.043	0.0143	निजी भूमि
5	अनिल पुत्र रामचन्द्र तिवारी	776/5	0.043	0.0144	निजी भूमि
6	नीलेश पुत्र रामचन्द्र तिवारी	776/6	0.043	0.0143	निजी भूमि

7	गिरीषकुमार, शिवशेखर, उमेश, सुनील, चन्द्रमौल, श्रवण पिता अम्बुज प्रसाद जाति ब्राह्मण	778/1	0.245	0.030	निजी भूमि
8	कृष्णकेशव पिता रामसुभग 1/2, बृजनंदन पिता हरिप्रसाद 1/6 बृजश्याम पिता हरिप्रसाद 1/6, मु० पार्वती, बेवा हरिप्रसाद 1/6 जाति ब्राह्मण	778/2	0.245	0.030	निजी भूमि
9	शिवधारी पिता रामविशाले पनिका	779/1	0.270	0.090	निजी भूमि
10	लल्ली पिता रामविशाले पनिका	779/2	0.080	0.030	निजी भूमि
11	बृजेंद्र पिता भगवती प्रसाद तिवारी	781	0.680	0.100	निजी भूमि
12	जयमंती पुत्री अमरनाथ जायसवाल 1/6, ललमंती पुत्री अमरनाथ जायसवाल 1/6, रामकली पुत्री अमरनाथ जायसवाल 1/6, सिद्धनाथ पुत्र अमरनाथ जायसवाल 1/6, प्रेमकुमार पुत्र अमरनाथ जायसवाल 1/6, शेषमणि पुत्र अमरनाथ जायसवाल 1/6	782/1	0.145	0.035	निजी भूमि
13	अमन कुमार पिता अर्जुन प्रसाद भुर्तिया	932/1/4/1	0.025	0.010	निजी भूमि
14	आलेश कुमार पिता जमाहिर भुर्तिया	932/2/1	1.150	0.0250	निजी भूमि
15	कोसमती पति आलेश कुमार भुर्तिया	933/1/1	0.020	0.020	निजी भूमि
16	कोसमती पति आलेश कुमार भुर्तिया	933/1/2	0.010	0.010	निजी भूमि
17	मनोज कुमार पुत्र पन्नालाल चौरसिया	933/2	0.040	0.040	निजी भूमि
18	बंशीलाल पुत्र भगवती प्रसाद तिवारी	934	0.220	0.110	निजी भूमि

19	गिरीष कुमार पुत्र अम्बुज प्रसाद तिवारी	935/1/1	0.031	0.0120	निजी भूमि
20	शिवशेषर पुत्र अम्बुज प्रसाद तिवारी	935/1/2	0.032	0.0119	निजी भूमि
21	उमेश पुत्र अम्बुज प्रसाद तिवारी	935/1/3	0.031	0.0119	निजी भूमि
22	सुनील पुत्र अम्बुज प्रसाद तिवारी	935/1/4	0.032	0.0119	निजी भूमि
23	चन्द्रमौल पुत्र अम्बुज प्रसाद तिवारी	935/1/5	0.032	0.0119	निजी भूमि
24	श्रवण पुत्र अम्बुज प्रसाद तिवारी	935/1/6	0.032	0.0119	निजी भूमि
25	कृष्णकेशव पिता रामसुभगराम 1/2, बृजनंदन पिता हरिप्रसाद 1/6 बृजश्याम पिता हरिप्रसाद 1/6, मु0 पार्वती बेवा हरिप्रसाद 1/6 जाति ब्रा0	935/2	0.200	0.0715	निजी भूमि
26	डोलनाथ पिता रामपियारे पनिका	936/1	0.050	0.0312	निजी भूमि
27	रामकुमार पिता छोटेलाल पनिका	936/2/1	0.050	0.0313	निजी भूमि
28	गंगाराम पिता रामपियारे पनिका	936/2/2	0.050	0.0312	निजी भूमि
29	रामदास पिता रामपियारे पनिका	936/2/3	0.050	0.0313	निजी भूमि
30	रामदास पिता रामपियारे पनिका	937/4	0.120	0.003	निजी भूमि
31	रामायण प्रसाद पिता ईश्वरदीनराम जाति ब्रा0	938	1.010	0.048	निजी भूमि
निजी पट्टे की भूमि का योग -		31 किता	5.108	0.935	

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-- रेलवे आर ओ बी निर्माण हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सिंगरौली एवं उपखण्ड अधिकारी देवसर, जिला/सिंगरौली के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव बैनल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-ए.-05-अ-82-2025-26

राजगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2026

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित हैं सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

ग्राम - कालापीपल (द्वितीय पूरक प्रकरण)		तहसील - सारंगपुर		जिला - राजगढ़
सं. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर		
		कुल रकबा	अर्जित रकबा	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	6.445	4.147	

अनुसूची (2)

1. कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

स.क्र.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बालू पिता लक्ष्मण जाति बलाई, जगदीश पिता लक्ष्मण जाति बलाई हिस्सा 1/2 निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालापीपल	437/1/1	1.000	0.253	0.747	1.000	
2	कालू पिता गंगाराम जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालापीपल	437/1/19	1.000	0.000	1.000	1.000	
3	कन्हैयालाल पिता किशन जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालापीपल	437/1/30	1.000	0.000	1.000	1.000	
4	रुगनाथ पिता कनीराम जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालापीपल	437/1/31/1	1.160	0.000	0.150	0.150	
5	कालू रुगनाथ पिता कनीराम जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालापीपल	427/5	1.285	0.900	0.250	1.150	
6	बद्रीलाल पिता नाथूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालापीपल	437/1/23	1.000	0.000	1.000	1.000	
योग:-			6.445	1.153	4.147	5.300	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-ए.-11-अ-82-2025-26

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

ग्राम – कड़लावद (तृतीय पूरक प्रकरण)		तहसील -- सारंगपुर		जिला – राजगढ़	
स.कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर			
1	निजी भूमि 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	कुल रकबा	अर्जित रकबा		
		0.961	0.928		

अनुसूची (2)

1. कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

स.कं.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कवरलाल पिता भवरलाल जाति भील निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालापीपल	183/4/1	0.061	0.000	0.061	0.061	
2	कमलसिंह पिता, भगवानसिंह पिता दूलेसिंह जाति राजपूत	205/1/2 206/6	0.417 0.139	0.000 0.000	0.417 0.139	0.417 0.139	
	योग:-		0.556	0.000	0.556	0.556	
3	नारायणसिंह पिता देवीलाल जाति बलाई	222/1	0.144	0.000	0.144	0.144	
4	शिवसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत	721/2	0.026	0.000	0.026	0.026	
5	रमेश पिता रामलाल जाति बलाई	772/4	0.041	0.000	0.041	0.041	
7	गिरधारी पिता मांगीलाल जाति लोहार	980/4/1	0.133	0.000	0.100	0.100	
	योग:-		0.961	0.000	0.928	0.928	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक-19-अ-82-2025-26

राजगढ़, दिनांक 6 जनवरी 2026

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम उदपुरिया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम उदपुरिया

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	शैतानबाई बेवा गोरीलाल, भगवानसिंह, राहुल पिता गोरीलाल जाति रुवाला	3/10/2/1	0.588	0.588
	योग	1	0.588	0.588
	कुलयोग :-	1	0.588	0.588

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 563/भू-अर्जन/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2025-26 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील व जिला राजगढ़ हेतु ग्राम बख्तावरपुरा की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क.	विवरण	अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
1	बख्तावरपुरा	0.767
	कुलयोग :-	0.767

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :- ग्राम बख्तावरपुरा

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	सुमित्राबाई पति देवसिंह जाति लुहार निवासी ग्राम भू-स्वामी	17/4/1/2	1.152	0.300
		59/4/1/2/1	0.032	0.032
		59/4/1/2/2	0.435	0.435
	योग :-	3	1.619	0.767

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्रमांक-221-भू-अर्जन-2025

सीधी, दिनांक 8 फरवरी 2026

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

--: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	चुरहट
(ग) ग्राम	-	बड़खरा 740
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	0002 बड़खरा
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकबा 1.7000 हे०

स.क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	382	0.0200	0.0060	हर प्रसाद पुत्र पोडई राम ब्रा०	सीवा सीधी रेल लाईन निर्माण कार्य
2	383	0.6900	0.1100	हर प्रसाद पुत्र पोडई राम ब्रा०	
3	384	0.0300	0.0300	हर प्रसाद पुत्र पोडई राम ब्रा०	
4	385	0.1400	0.0200	हर प्रसाद पुत्र पोडई राम ब्रा०	
5	426	0.2400	0.0220	हर प्रसाद पुत्र पोडई राम ब्रा०	
6	427	0.4100	0.4100	रामदुलारी पत्नी अभिनन्दन प्रसाद 1/4, धनेश प्रसाद पुत्र अभिनन्दन प्रसाद पाण्डेय 1/4, दिनेश प्रसाद पुत्र अभिनन्दन प्रसाद पाण्डेय 1/4, संतोष कुमार पुत्र अभिनन्दन प्रसाद पाण्डेय 1/4	
7	428	0.0600	0.0070	सुखमन्ती पत्नी शीतला प्रसाद ब्रा० 1/6, रामदेई पत्नी शीतला प्रसाद ब्रा० 1/6, राजबहोर पुत्र शीतला प्रसाद ब्रा० 1/6, सावित्री पुत्री शीतला प्रसाद ब्रा० 1/6, सुशीला पुत्री शीतला प्रसाद ब्रा० 1/6, प्रतिमा पत्नी राजेश कुमार ब्रा० 1/18, रश्मी पुत्री राजेश कुमार ब्रा० 1/18, बिकास पुत्र राजेश कुमार ब्रा० 1/18	
8	498	0.0600	0.0520	लालजी सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2, सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2	
9	499	0.0700	0.0700	लालजी सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2, सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2	
10	500	0.0100	0.0040	भगवानदीन सेन पुत्र रामनिवास 1/2, राजभान सेन पुत्र रामनिवास सेन 1/2	
11	502	0.2900	0.2900	लालजी सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2, सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2	

स.क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
12	509	0.3900	0.1400	लालजी सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2, सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह 1/2	रीवा सीधी रेल लाईन निर्माण कार्य
13	514/1/1	0.1200	0.0350	इन्द्रबहादुर सिंह पिता गोपाल सिंह	
14	514/1/2	0.1300	0.0050	बीरेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	
15	515/1	0.0280	0.0280	सजन सिंह पुत्र अभिमान सिंह 1/3, केशव सिंह पुत्र अभिमान सिंह 1/3, इन्द्रजीत सिंह पुत्र अभिमान सिंह 1/3	
16	516/1/2	0.0820	0.0650	श्रीनिवास सिंह पुत्र जयचन्द्र सिंह, गजराज सिंह पुत्र जयचन्द्र सिंह, गोपाल सिंह पुत्र माखन सिंह, लालजी सिंह पुत्र रामपाल सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह, फूलबास पत्नी रामपाल सिंह	
17	529/1	0.1290	0.0790	सजन सिंह पुत्र अभिमान सिंह 1/3, केशव सिंह पुत्र अभिमान सिंह 1/3, इन्द्रजीत सिंह पुत्र अभिमान सिंह 1/3	
18	530	0.0400	0.0330	मोलिया पत्नी विशेषर गड़रिया	
19	532/2	0.0200	0.0190	जगदीश पुत्र पार्वती गड़रिया	
20	532/1	0.0200	0.0190	महादेव पुत्र पार्वती गड़रिया	
21	533/1	0.2660	0.0660	गंगा सिंह पुत्र राम सिंह	
22	543/1	0.3100	0.1700	सावित्री पत्नी राजभानु सिंह 1/3, विनय सिंह पुत्र राजभानु सिंह 1/3, राजेश सिंह पुत्र राजभानु सिंह 1/3	
23	544/1	0.0300	0.0200	सावित्री पत्नी राजभानु सिंह 1/3, विनय सिंह पुत्र राजभानु सिंह 1/3, राजेश सिंह पुत्र राजभानु सिंह 1/3	
कुल रकवा हे०		3.5850	1.7000		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक-223-भू-अर्जन-2026

सीधी, दिनांक 09 फरवरी 2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	चुरहट
(ग) ग्राम	-	आमडांड 44
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	पटेहरा
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकबा 0.5000 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रक्वा हे० में	अर्जित रक्वा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	634/1	0.1300	0.1500	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	634/2	0.1200		
3	634/3	0.1300		
4	635/1/1	0.1000	0.2000	
5	635/2/1	0.0250		
6	635/3/1	0.0250		
7	635/4/1	0.0250		
8	635/5/1	0.0250		
9	635/6/1	0.0250		
10	635/7/1	0.0250		
11	636/1/1	0.0890	0.1500	
12	636/2	0.0900		
13	636/3	0.0700		
कुल रक्वा हे० में		0.8790	0.5000	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्रमांक-408-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0030-अ-82-2025-26

उज्जैन, दिनांक 16 जनवरी 2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण	1.933 हेक्टर

-अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उज्जैन नगर
(ग) ग्राम	:- कसबा उज्जैन
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 1.933 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	3293/1/3	0.140	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
2	3293/1/2	0.282		
3	3293/2/2/1	0.028		
4	3293/2/2/2/1/1	0.028		
5	3293/2/2/2/2	0.050		
6	3293/2/3	0.204		
7	3296/1	0.038		
8	3297/1	0.110		
9	3297/2	0.096		
10	3303/1/1/2	0.325		
11	3303/4/1	0.050		
12	3306/1/3	0.572		
13	3307/1	0.010		
कुल रकबा		1.933		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक-409-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0029-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :—

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण	13.446 हेक्टर

—अनुसूची (2) :—

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उज्जैन
(ग) ग्राम	:- दाउदखेड़ी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 13.446 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	32/1	1.828	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
2	31/2/2/2	0.002		
3	31/1/1/1/1	0.115		
4	31/1/1/1/2	0.523		
5	31/1/1/1/3	0.116		
6	31/1/1/2/3	0.031		
7	30	0.690		
8	20/1	0.445		
9	20/2	0.055		
10	20/3	0.313		
11	20/4	0.057		
12	20/5	0.189		
13	20/6	0.272		
14	27/2	0.053		
15	27/1/1/1	0.105		
16	21/1	0.270		
17	21/2/1/1	0.909		
18	21/2/1/2	0.063		
19	21/2/1/3	0.460		
20	21/2/2/2	0.188		
21	17	0.026		
22	111/1/1	1.281		
23	111/1/2	0.065		
24	111/2	0.054		
25	114/2	0.314		
26	114/3	0.971		
27	115/3	0.337		
28	121/1	1.159		
29	122/1	0.178		
30	128	0.250		
31	126/1/3	0.039		
32	126/2/1	0.065		
33	126/1/2	0.335		
34	126/1/4	0.468		
35	126/1/5	0.418		
36	126/1/6	0.170		
37	126/1/7	0.270		
38	127/1	0.062		
39	127/2	0.300		
कुल रकबा		13.446		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक-410-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0027-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

--:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण	5.207 हेक्टर

--:अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	-- उज्जैन
(ख) तहसील	-- उज्जैन
(ग) ग्राम	-- चिंतामन जवासिया
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	-- 5.207 हेक्टर

1	321/3	0.040	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
2	323/2	1.086		
3	325/2	0.619		
4	326/2/1	0.020		
5	326/2/3/1	0.935		
6	326/2/3/2	0.001		
7	326/1/1	0.127		
8	327/1/1	1.067		
9	328	0.650		
10	329/1/1/1/1	0.055		
11	329/1/1/2	0.090		
12	332	0.140		
13	333/2	0.377		
कुल रकबा		5.207		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक-411-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0028-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण	6.007 हेक्टर

-:अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- उज्जैन

(ग) ग्राम

:- चौदमुख

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 6.007 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	4	0.005	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण
2	33	0.487		
3	31/1	0.070		
4	31/2	0.050		
5	31/3	0.003		
6	58	0.750		
7	57	0.526		
8	60/1	0.322		
9	60/3	0.020		
10	61	0.850		
11	62/1	0.365		
12	62/3	1.667		
13	63/1/1	0.060		
14	65/5	0.120		
15	65/4	0.090		
16	65/3	0.070		
17	65/2	0.050		
18	65/1/1	0.070		
19	66	0.425		
20	68/1	0.007		
कुल रकबा		6.007		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रौशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

पत्र क्रमांक-426-भू-अर्जन-2025

मऊगंज, दिनांक 01 दिसम्बर 2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि के अनुसूची की सारणी के कालम-4 में उल्लेखित भूमि के रकबे का लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (1) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/उपर्युक्त भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूँकि ग्राम-छोटी बराती, राजस्व निरीक्षक मण्डल-रतनगवाँ, पटवारी हल्का-डिघवार, तहसील-मऊगंज, जिला-मऊगंज, मऊगंज जिले के डिघवार से बहेरी चौबान ढैरा मार्ग में ओड़डा नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला - मऊगंज (म.प्र.) (ख) तहसील - मऊगंज
(ग) नगर/ग्राम - छोटी बराती (घ) लगभग क्षेत्रफल- **0.325 हेक्टेयर**

खसरा एवं रकबा का विवरण			
क्र.	खसरा नं.	भूमि स्वामियों का नाम	अर्जित रकबा (हे० मे)
1	2	3	4
1	145/2	रमाशंकर पिता अवधेश	0.315
2	145/4	दिनेश पिता अवधेश	0.005
3	145/6	सरला पति गणेश	0.005
		कुल योग 03 किता	0.325

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- मऊगंज जिले के डिघवार से बहेरी चौबान ढैरा मार्ग में ओड़डा नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला मऊगंज एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक-627-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि के अनुसूची की सारणी के कालम-4 में उल्लेखित भूमि के रकबे का लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (1) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/उपर्युक्त भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूँकि ग्राम-भुंडहा, राजस्व निरीक्षक मण्डल-रतनगवाँ, पटवारी हल्का-मझिगवाँ, तहसील-मऊगंज, जिला-मऊगंज, मऊगंज जिले के डिघवार से बहेरी चौबान ढैरा मार्ग में ओड्डा नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला	-	मऊगंज (म.प्र.)	(ख) तहसील	-	मऊगंज
(ग) नगर/ग्राम	-	भुंडहा	(घ) लगभग क्षेत्रफल-		0.325 हेक्टेयर

खसरा एवं रकवा का विवरण			
क्र.	खसरा नं.	भूमि स्वामियों का नाम	अर्जित रकवा (हे० मे)
1	2	3	4
1	217 (शामिल खसरा नं० 218,219,222)	जुगुल किशोर पिता सूर्यभान	0.252
2	235/3	जुगुल किशोर पिता सूर्यभान	0.048
3	225/2	रामायण प्रसाद पिता रामविशाल	0.025
		कुल योग 03 किता	0.325

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- मऊगंज जिले के डिघवार से बहेरी चौबान ढैरा मार्ग में ओड्डा नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला मऊगंज एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक-794-भू-अर्जन-2026

मऊगंज, दिनांक 09 फरवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज

तहसील - हनुमना

ग्राम - गजरहा

क्षेत्रफल - 0.3200 हे.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्र.	कुल रकबा हैं. में	अर्जित रकबा हे.में	धारा-12 की धारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1	युधिष्ठिर सिंह पिता बेनीबहादुर सिंह 1/9, सुरेन्द्र सिंह पिता राजभान सिंह 1/18, वंशबहादुर सिंह पिता गोपाल सिंह 1/18, शम्भू सिंह पिता मुन्नीलाल सिंह 7/18, गिरजा सिंह पिता राजभान सिंह 1/18. कृष्णकुमार सिंह पिता बीरबली सिंह 1/15, पवन कुमार सिंह पिता बीरबली सिंह 1/15, बृजेशकुमार सिंह पिता बीरबली सिंह 1/15, राजेश कुमार सिंह पिता बीरबली सिंह 1/15, महेश कुमार सिंह पिता बीरबली सिंह 1/15 जाति राजपूत पता ग्राम-गजरहा हनुमना जिला-मऊगंज (म.प्र.) ;	2/1	0.9550	0.3200	कार्यपालन यंत्री (भवन) लोक निर्माण विभाग रीवा	सी.एम. राइज, विद्यालय गौरी में निर्माण कार्य हेतु (मल्टी परपज हाल)

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" सांदीपनीविद्यालय आर. आर. द्विवेदी गौरी हनुमना (सी.एम. राइज) जिला-मऊगंज के निर्माण में आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला-मऊगंज (भू-अर्जन शाखा) में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्र-861-भू-अर्जन-2026-प्र.क्र. 01-अ-82-(NH)-2025-26

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2026

चूँकि राज्य शासन को यह पतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की सम्भावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसआशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमसृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा-12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित नगरीय विकास एवं आवास विभाग की मध्यप्रदेश मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत भोपालशहर में अनुमोदित मेट्रो रूट ब्लू लाइन (भदभदा - डिपो चौराहा - जवाहर चौक - रोशनपुरा - कुषाभाऊ ठाकरे हॉल -परेड ग्राउंड- पुलबोगदा- प्रभात चौराहा- गोविन्दपुरा-गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया- जे.के.रोड-इन्द्रपुरी-पिपलानी-रत्नागिरी तिराहा) के निर्माणहेतु कार्य की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है, जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन से छूट प्रदान की गई है। इस कारण से धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
			खसरा न.	रकबा (हे.)		
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1905/1461	0.0280	महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), मेट्रो रेल परियोजना, भोपाल	नगरीय विकास एवं आवास विभाग की मध्यप्रदेश मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत भोपाल शहर में अनुमोदित मेट्रो रूट ब्लू लाइन (भदभदा - डिपो चौराहा - जवाहर चौक - रोशनपुरा - कुषाभाऊ ठाकरे हॉल -परेड ग्राउंड- पुलबोगदा- प्रभात चौराहा- गोविन्दपुरा-गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया- जे.के.रोड- इन्द्रपुरी-पिपलानी-रत्नागिरी तिराहा) के निर्माणहेतु भूमि
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1909/1461	0.0481		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1452/2/3	0.0240		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1461	1.2302		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1462	0.1416		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1244	0.0309		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1463	0.0132		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1004	0.0600		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1003	0.6233		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1001	0.2902		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	999	0.0789		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1024	0.1170		

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
			खसरा न.	रकबा (हे.)		
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1027	0.0212		काअर्जन ।
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1028	0.0789		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	993	0.4149		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	991	0.1183		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	990	0.0981		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1047	0.0223		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	989	0.4476		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	988	0.2293		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1656/1048	0.0233		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1049	0.0358		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1051	0.0020		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1365	0.1200		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	923	0.1675		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	914	0.0147		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	919/1	0.1017		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	919/2			
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	918/1	0.4338		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	918/2			
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	918/3			
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	916/1	0.0444		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	916/2			
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	917/1	0.0176		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	917/2			
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	920/2	0.0909		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	920/3			
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	980	0.0662		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	902	0.0654		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	903	0.0002		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1643/980	0.0380		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	934	0.1630		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	935	0.0589		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	936	0.0891		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	937	0.0795		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	938	0.2471		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	939	0.2193		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	1559/940	0.0082		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	940	0.0092		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	941	0.0081		

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
			खसरा न.	रकबा (हे.)		
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	943	0.2279		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	922	0.2210		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	904	0.0330		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	888	0.0268		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	887	0.1023		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	886	0.4375		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	885	0.1000		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	891/1	0.0470		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	891/2/1	0.0254		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	891/2/2	0.0240		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	988	0.4941		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	884	0.0401		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	880	0.0011		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	875	0.0449		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	876	0.0116		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	872	0.2097		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	830	0.0267		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	871	0.0844		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	869	0.0076		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	868	0.0076		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	867	0.4614		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	866	0.2223		
भोपाल	हुजुर	शहरभोपाल	879	0.1295		
			किता-72	9.2058		

नगरीय विकास एवं आवास विभाग की मध्यप्रदेश मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत भोपाल शहर में अनुमोदित मेट्रो रूट ब्लू लाइन (भदभदा - डिपो चौराहा - जवाहर चौक - रोशनपुरा - कुषाभाऊ ठाकरे हॉल - परेड ग्राउंड - पुलबोगदा - प्रभात चौराहा - गोविन्दपुरा - गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया - जे.के.रोड - इन्द्रपुरी - पिपलानी - रत्नागिरी तिराहा) के प्रयोजन हेतु ग्राम शहर भोपाल, शहर वृत्त, तहसील हुजुर, जिला भोपाल की प्रस्तावित भूमि का विवरण।

अनुसूची-2

क्र.	भूमिस्वामी का नाम व पिता का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हेक्टेयर में.)	अर्जित की जानेवाली भूमि कारकबा (हेक्टेयर में.)
1	2	3	4	5
1	आबादी (गोवठान) - म.प्र. शासननजूल भूमी	1905/1461	0.0280	0.0280
2	आबादी (गोवठान) - म.प्र. शासननजूल भूमी	1909/1461	0.1860	0.0481
3	शासकीय - रास्ता	1452/2/3	0.0240	0.0240

क्र.	भूमिस्वामी का नाम व पिता का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हेक्टेयर में.)	अर्जित की जानेवाली भूमि कारकबा(हेक्टेयर में.)
1	2	3	4	5
4	आबादी (गाँवठान)- म.प्र. शासननजूल भूमी	1461	8.0040	1.2302
5	कब्रिस्तान - ओकाफ़ आम्मा भोपाल कब्रिस्तान	1462	1.2340	0.1416
6	पठार	1244	5.4390	0.0309
7	पुलिस विभाग -म.प्र. शासन	1463	0.1580	0.0132
8	सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड	1004	0.6110	0.0600
9	मिलेट्री	1003	15.8880	0.6233
10	आबादी (गाँवठान)- म.प्र. शासननजूल भूमी	1001	0.4170	0.2902
11	आबादी (गाँवठान)- म.प्र. शासननजूल भूमी	999	0.6540	0.0789
12	आबादी (गाँवठान) - महकमा मिलेट्रीपुलिस मेस एवं क्वाटर गार्ड	1024	4.5570	0.1170
13	तालाब - म्युनिसिपल बोर्ड	1027	1.7530	0.0212
14	आबादी (गाँवठान)- महकमा बागात	1028	0.4170	0.0789
15	सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड	993	0.6400	0.4149
16	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल भूमी	991	0.4450	0.1183
17	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल भूमी	990	0.5060	0.0981
18	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल भूमी	1047	0.5110	0.0223
19	सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड	989	0.4900	0.4476
20	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल भूमी आबादी जहांगीराबाद	988	3.4920	0.2293
21	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल भूमी	1656/1048	0.1780	0.0233
22	कब्रिस्तान - ओकाफ़ आम्मा भोपाल कब्रिस्तान	1049	0.5430	0.0358
23	रास्ता - म्युनिसिपल बोर्ड	1051	0.0400	0.0020
24	कृषि उपज मंडी समिति लक्ष्मी गंज भोपाल मुख्य कार्यपालन प्राधिकारी भोपाल विकास प्राधिकरण	1065	7.2480	0.1200
25	सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड	923	0.3970	0.1675
26	जी. एस. ऑइल. मिल भोपाल द्वारा श्रीकैलाशचन्द्र अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र सुनील कुमार, पवन कुमार पुत्र कैलाशचंद्र अग्रवाल	914	0.4130	0.0147
27	रास्ता - म्युनिसिपल बोर्ड	919/1	0.0930	0.1017
28	रास्ता - म्युनिसिपल बोर्ड	919/2	0.0850	
	जी. एस. ऑइल. मिल भोपाल द्वारा श्रीकैलाशचन्द्र अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र सुनील कुमार, पवन कुमार पुत्र कैलाशचंद्र अग्रवाल	918/1	0.2670	0.4338
29	रास्ता - म्युनिसिपल बोर्ड	918/2	0.0650	
30	रास्ता - म्युनिसिपल बोर्ड	918/3	0.3520	
31	जी. एस. ऑइल. मिल भोपाल द्वारा श्रीकैलाशचन्द्र अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र सुनील कुमार, पवन कुमार पुत्र कैलाशचंद्र अग्रवाल	916/1	0.1700	0.0444

क्र.	भूमिस्वामी का नाम व पिता का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हेक्टेयर में.)	अर्जित की जानेवाली भूमि कारकबा (हेक्टेयर में.)
1	2	3	4	5
32	शासकीय - रास्ता	916/2	0.0320	
33	जी. एस. ओइल. मिल भोपाल द्वारा श्रीकैलाशचन्द्र अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र सुनील कुमार, पवन कुमार पुत्र कैलाशचंद्र अग्रवाल	917/1	0.0530	0.0176
34	सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड	917/2	0.0040	
35	सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड	920/2	0.0450	0.0909
36	पठार - म्युनिसिपल बोर्ड	920/3	0.1860	
37	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल विभाग	980	2.1770	0.0662
38	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल भूमी	902	5.2610	0.0654
39	नजूलभूमि म.प्र. शासनरकबा 0.878 किशनलाल पिता सुन्दरदास रकबा 7456 वर्गफुट ए रकबा 0.17/0.069डैसी	903	0.9470	0.0002
40	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल भूमी	1643/980	0.1580	0.0380
41	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल भूमी	934	0.5260	0.1630
42	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल भूमी	935	1.6110	0.0589
43	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल भूमी	936	1.6110	0.0891
44	पठार - म्युनिसिपल बोर्ड	937	0.1540	0.0795
45	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल भूमी	938	1.6750	0.2471
46	पठार - म्युनिसिपल बोर्ड	939	0.5870	0.2193
47	नाली - म्युनिसिपल बोर्ड	1559/940	0.0650	0.0082
48	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल भूमी	940	4.1880	0.0092
49	सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड	941	0.0730	0.0081
50	नजूल	943	10.4880	0.2279
51	सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड	922	0.4860	0.2210
52	सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड	904	0.4130	0.0330
53	आबादी (गाँवठान) - महकमा बागात	888	0.6840	0.0268
54	सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड	887	0.1400	0.1023
55	सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड	886	1.1170	0.4375
56	आबादी (गाँवठान)-म.प्र. शासननजूल भूमी	885	0.2790	0.1000
57	रास्ता - महकमा बागात	891/1	0.0470	0.0470
58	श्रीमती अफसर जहाँ पत्नी स्व. मजीद उल्ला खाँ सईद उल्ला खाँ अजीज उल्ला खाँ पुत्रगण स्व. मजीद उल्ला खाँ श्रीमती शाहनाज़ खाँ श्रीमती गुलनाज़ खाँ श्रीमती रूबीना खाँ पुत्रियाँ स्व. मजीद खाँ पता निवासी भोपाल	891/2/1	0.0920	0.0254
59	श्रेया सिंह भदौरिया पुत्री प्रदीप सिंह भदौरिया द्वारा प्राकृतिक अभिभावक पिता प्रदीप सिंह भदौरिया आ. जयपाल सिंह भदौरिया	891/2/2	0.0710	0.0240
60	आबादी (गाँवठान) - म.प्र. शासन नजूल भूमी	988	3.4920	0.4941
	आबादी जहांगीराबाद			
61	सरदार भगवान सिंह, अवतार सिंह, कुलदीप सिंह पिता सरदार सरदारसिंह	884	0.4010	0.0401
62	नजूलभूमि -म.प्र. शासन राजस्व विभाग	880	0.2140	0.0011
63	उद्योग विभाग - म.प्र. शासन	875	1.0030	0.0449
64	सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड	876	0.4370	0.0116
65	उद्योग विभाग - म.प्र. शासन	872	0.7210	0.2097
66	गैर मकबूजा का. का. - म्युनिसिपल बोर्ड राजस्व विभाग	830	0.2140	0.0267
67	उद्योग विभाग - म.प्र. शासन	871	0.3800	0.0844
68	नाला - म्युनिसिपल बोर्ड	869	0.1940	0.0076
69	तलाई म्युनिसिपल बोर्ड	868	0.0160	0.0076
70	महकमा बागात - म्युनिसिपल बोर्ड राजस्व विभाग	867	0.5390	0.4614
71	सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड	866	0.2470	0.2223
72	बौन मिल	879	2.7730	0.1295
	किला-72		99.1060	9.2058

अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से संबंधित योजना आरेख, सक्षम प्राधिकारी, जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल (म.प्र.) भारत -462001 के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे।

नोट:- 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रा.प्र.क्र. 0002-अ-82-2025-2026-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 फरवरी 2026

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत नवेगांव जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की नवेगांव जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—अनुसूची:—

1.भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6	7
छिंदवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-भतोडिया कला प0ह0न0-77 ब0न0-420 रा0नि0म0-नवेगांव	1.आदित्य कुमार पिता रामप्यारे जाति कोरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी 2. रामप्यारे पिता झुरी जाति कोरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी 3. मीरा, राधा, प्रिया, आरती पिता लालदास, करिया पिता लालदास, रुक्मणी देबा	28 / 1 28 / 6 28 / 2	0.063 0.031 0.064	नवेगांव जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के संबंध में
			लालदास जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी			
			4. झुमकलाल पिता गाजू जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	28 / 3	0.081	
			5. लक्ष्मण पिता गाजू जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	28 / 4	0.033	
		कुल योग		05	0.272 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-806932-भू-अर्जन-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितवद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/एम0पी0एस0/31/1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम-मोहगांव, प0ह0न-41 ब.न.-490 रा.नि.मं-छिंदवाड़ा	रकबा-1.650 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिंदवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत माईको इरिगेशन काम्पलेक्स-01 के अंतर्गत पंप हाउस क0-2 के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0 01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-806955-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितवृद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/एम0पी0एस0/31/1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम— कलकोटी, म0ह0न-04 ब.न.-17 रा.नि.म-चौरई2	रकबा-3.650 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत माईको इरिगेशन काम्पलेक्स-01 के अंतर्गत पंप हाउस क0-3 के कमाण्ड क्षेत्र में लेईंग की जा रही पाईप लाईन से सर्ज टैंक के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवृद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0 01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवृद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरेंद्र नारायण, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्र.-भू-अर्जन-2026-28-29

शाजापुर, दिनांक 5 फरवरी 2026

प्रकरण क्रमांक / /अ-82/2025-26 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 7 में वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन (लोक निर्माण विभाग की परियोजना खरदौनकाला-उगली शुजालपुर मार्ग हेतु भूमि का अर्जन) के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है। धारा 12 की कार्यवाही के उपरांत सम्पत्ति का नुकसान नहीं होने से धारा 13 के अंतर्गत कार्यवाही की जाना आवश्यक नहीं है। उक्त भू अर्जन के प्रकरण में किसी भी प्रभावित कृषक का पुनर्वास अथवा पुनर्व्यवस्थापन प्रस्तावित नहीं है, अतः अधिनियम की धारा 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कालम नं. 7 में वर्णित भूमि लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

भूमि का विवरण:-

(क)	जिला:- शाजापुर
(ख)	तहसील :- शुजालपुर
(ग)	ग्राम:- कस्बा शुजालपुर
(घ)	क्षेत्रफल निजी भूमि:- रकबा 5.583 (हेक्टर में)

:- अनुसूची :-

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का		
				असिंचित	सिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
कस्बा शुजालपुर						
1	माफ़ी श्री राधाकृष्ण मन्दिर माफ़ी ओकाफ 3-2 भू-व्यवस्थापक जिलाध्यक्ष महोदय शाजापुर	1387	1.7030	0.000	0.073	0.073
2	मिलिन्द पिता गजानंदराव वाकणकर नीलिमा पति सीताराम जाति ब्राह्मण मधुसूदन पुत्रगण राजाराम ऊर्फ राजा भैया वाकणकर जाति ब्राह्मण गजानंद राव सुरेश ऊर्फ सीताराम मधुसूदन पिता राजाराम सुधाबाई पिता राजाराम जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भूमि स्वामी	1362	5.7490	0.000	0.470	0.470
3	माफ़ी दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफ़ी दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)	2407 शा.न. 2413	0.5020	0.125	0.00	0.125
4	माफ़ी दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफ़ी दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)	2408	0.0420	0.021	0.00	0.021
5	माफ़ी दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफ़ी दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)	2414	0.3140	0.021	0.00	0.021
6	माफ़ी दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफ़ी दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)	2415	0.8260	0.083	0.00	0.083

7	माफ़ी दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफ़ी दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)	2416	0.2090	0.073	0.00	0.073
8	माफ़ी दरगाह गेब शाह वली स्थित ग्राम माफ़ी दफा 3-2 व्यवस्थापक श्री जिला महोदय मण्डल शाजापुर म.प्र. (शासकीय संस्था)	2400/1	0.7110	0.042	0.00	0.042
9	सत्यजीतसिंह पिता सत्यप्रसन्नजीतसिंह देखमुख जाति मराठा निवासी ग्राम	1659/1	0.2400	0.000	0.146	0.146
10	सत्यजीतसिंह पिता सत्यप्रसन्नजीतसिंह देखमुख जाति मराठा निवासी ग्राम	2399/2	0.1670	0.031	0.00	0.031
11	शेरबानो पति करीम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1650	1.2230	0.000	0.167	0.167
12	शेरबानो पति करीम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1652	0.2400	0.000	0.105	0.105
13	शेरबानो पति करीम खां चंदा बी पति फकरुद्दीन खां असलम खां अकरम खां इजराइल खां पिता इब्राहिम खां रुकसार बी पति राजु खां शबाना बी पति शाकिर खां शाहरुखखां पिता अकरम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1656/1	1.3690	0.000	0.136	0.136
14	प्रिय दर्शन संजीव हर्षवर्धन पिता प्रतापराव जाति मराठा हि 1/2 शिरीष राजीव वन्दनाप्रताप पिता शिवाजी जाति मराठा हि 1/2 भूमि स्वामी	1607/1 शा.न. 1612/1, 1620/3, 1620/1, 1621/2, 1630, 1638/1 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1653/1, 1659/3, 2392/2, 2398	15.3870	0.000	0.052	0.052
15	शहाना बी पति रहींस खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1660/3	0.4810	0.000	0.052	0.052
16	सरताज बी पति इसरार खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1659/7	0.8570	0.000	0.052	0.052
17	इरफाना बी पति इसलाम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1660/1	0.2090	0.000	0.063	0.063
18	जरीना बी पति शहजाद खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1659/5	0.8570	0.000	0.168	0.168
19	शहाना बी पति रहींस खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1664/7 शा.न. 1659/4	0.5230	0.000	0.046	0.046
20	इसरार खां पिता नन्ने खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1662/1/3	0.2710	0.000	0.046	0.046
21	इरफाना बी पति इसलाम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1659/6	0.8570	0.000	0.084	0.084
22	आनन्दाबाई पत्नी बाबूलाल जाति अहीर निवासी ग्राम	1663/2 शा.न. 1664/2, 1664/3, 1664/4, 1677/1, 1678/5	2.4660	0.000	0.173	0.173

23	रूपनारायण पिता काशीराम जाति कुम्हार सिद्ध रमेश अमरसिंह जगन्नाथ पिता रामरतन कृष्णाबाई जमनाबाई पुत्री रामरतन नादानीबाई बेवा रामरतन गोरिलाल राधेश्याम माखन घनश्याम पिता मेहताब दल्लूबाई बेवा मेहताब कैलाश देवकरण पिता माधव सिंह राजलबाई पति बलदेव माया मनीषा पिता बलदेव जाति चमार श्यामाबाई पति कपिल जाति गाडरी महेश अहिरवार पिता हजारीलाल जाति चमार निवासी ग्राम	1670/2/1/1/1/1	1.4787	0.000	0.264	0.264
24	शबनम बी पति अमीरउल्ला जाति मुसलमान निवासी ग्राम	1670/2/2	0.2090	0.000	0.021	0.021
25	किरणबाई पुत्री कैलाश राकेश प्रमोद पिता कैलाश जाति लोहार शाहरूख खां पिता शरीफ खां जाति मुसलमान	1683/1/1	1.2401	0.000	0.073	0.073
~~26~~	~~अचरनबाई विधवा हजारीलाल कृष्णाबाई पुत्री हजारीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम~~	~~1690/3 शा.न. 1699/4, 1689/2626/2~~	~~0.2310~~	~~0.073~~	~~0.00~~	~~0.073~~
27	कलाबाई विधवा कैलाश राकेश प्रमोद पिता कैलाश किरणबाई पुत्री कैलाश, प्रहलाद, महेश कमल, जगदीश, सुरेश, दीपक पिता मांगीलाल, घीसीबाई विधवा मांगीलाल गौरीशंकर पिता मोतीलाल जाति लोहार निवासी ग्राम	1684/1/3	0.9120	0.000	0.0210	0.021
28	कलाबाई विधवा कैलाश राकेश प्रमोद पिता कैलाश किरणबाई पुत्री कैलाश, प्रहलाद, महेश कमल, जगदीश, सुरेश, दीपक पिता मांगीलाल, घीसीबाई विधवा मांगीलाल गौरीशंकर पिता मोतीलाल जाति लोहार निवासी ग्राम	1687/1	0.0100	0.000	0.010	0.010
29	मुरलीधर पिता चंदरसिंह जाति अहोरा निवासी ग्राम	1684/2 शा.न. 1686/2, 1687/2	1.2540	0.000	0.083	0.083
30	आफाक बेग पिता अलताफ बेग जाति मुसलमान निवासी ग्राम	2140/1/3 शा.न. 2140/2	2.4930	0.000	0.052	0.052
31	मिर्जा आफताब बेग पिता अलताफ बेग जाति मुसलमान निवासी ग्राम	2140/1/2 शा.न. 2140/2	2.4930	0.000	0.052	0.052
32	गणेश पिता हजारीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम	1689/1	0.4180	0.000	0.031	0.031
33	संतोष पिता हजारीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम	1689/2/1 शा.न. 1692/1 (रकबा 0.335)	0.9770	0.000	0.031	0.031
34	गौरव पिता राजेन्द्र राव नवाली पिता राजेन्द्र राव श्रीमती सुख बेवा राजेन्द्र राव जाति मराठा निवासी ग्राम	2137	1.8080	0.000	0.021	0.021
35	गौरव पिता राजेन्द्र राव नवाली पिता राजेन्द्र राव श्रीमती सुख बेवा राजेन्द्र राव जाति मराठा निवासी ग्राम	2136/1	0.2610	0.000	0.146	0.146
36	जितेन्द्र पुष्पद, रचना पिता संतोषकुमार धापूबाई बेवा संतोष कुमार शांताबाई विधवा रामचरण महेश कुमार ओमप्रकाश पिता रामचरण जाति माली निवासी ग्राम	2161	1.2850	0.000	0.105	0.105
37	दिलीपसिंह पिता रामसिंह जाति पंवार निवासी ग्राम	2162	0.8980	0.000	0.063	0.063

38	प्रेमबाई बेवा रामचरण जुझारसिंह पिता रामचरण जाति पंवार निवासी ग्राम	2171	0.0420	0.000	0.042	0.042
39	प्रेमबाई बेवा रामचरण जुझारसिंह पिता रामचरण जाति पंवार निवासी ग्राम	2169/2	1.0450	0.000	0.042	0.042
40	रमेश, डांगरासिंह, रतनासिंह पिता भवरलाल, राजलबाई बेवा भवरलाल जाति माली निवासी ग्राम	2264/1	0.2780	0.000	0.073	0.073
41	रमेश, डांगरासिंह, रतनासिंह पिता भवरलाल, राजलबाई बेवा भवरलाल जाति माली निवासी ग्राम	2265/1/1	0.4580	0.000	0.082	0.082
42	रमेश, डांगरासिंह, रतनासिंह पिता भवरलाल, राजलबाई बेवा भवरलाल जाति माली निवासी ग्राम	2267/1	0.2240	0.000	0.062	0.062
43	बबलू पुष्पद, सोना पुष्पद पिता नारायणसिंह, भगवतीबाई बेवा नारायणसिंह हि 1/9 गोविंदसिंह पिता लाडसिंह हि 1/9 बद्रीलाल पिता लाडसिंह हि 1/9 कलाबाई पुत्री लाडसिंह हि 1/9 भूरीबाई पुत्री लाडसिंह हि 1/9 गिरजाबाई पुत्री लाडसिंह हि 1/9 रेखाबाई पुत्री लाडसिंह हि 1/9, कोशल्याबाई पुत्री लाडसिंह हि 1/9 दुगाबाई बेवा लाडसिंह हि 1/9 जाति माली निवासी ग्राम	2264/2	0.7150	0.000	0.073	0.073
44	मानासिंह अजुध्याबाई, गंगाबाई, मुन्नीबाई, विष्णुबाई, पुष्पाबाई पिता सिद्धलाल जाति माली निवासी ग्राम	2265/3	0.5340	0.000	0.063	0.063
45	रोहित पिता ज्ञानासिंह मेवाडा भाग 1/2 अनास पठान पिता रईस पठान भाग 1/2	2420/2	0.0520	0.021	0.00	0.021
46	माफी दरगाह वडी शाहवासी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय शाजापुर वक्फ संपत्ति अहस्तांतरणीय शाजापुर म.प्र. शासकीय संस्था	2262	6.9190	0.000	0.301	0.301
47	प्रिय दर्शन हर्षवर्धन संजीव पिता प्रतापराव उषादेवी बेवा प्रतापराव जाति मराठा हि 1/6 समभाग, शिरीषकुमार राजीवकुमार पिता शिवाजीराव विजयमाला बेवा शिवाजीराव जाति मराठा हि 1/6 समभाग, कमलाबाई बेवा रामराव हि 1/6, सत्येन्द्रसिंह सत्यवृत्तसिंह पिता विरेन्द्रसिंह भाग 1/3 समभाग, शिवाजीराव व विजयमाला बेवा शिवाजीराव भाग 1/6 समभाग, कमलाबाई बेवा रामराव भाग 1/6, सत्येन्द्रसिंह सत्यवृत्तसिंह जाति मराठा भूमि स्वामी	2249	0.3550	0.177	0.00	0.177
48	यशचन्द्र अमरेंद्र विरेन्द्रसिंह पिता रमेशचन्द्र जाति मराठा भूमि स्वामी	2250	0.0520	0.000	0.011	0.011
49	यशचन्द्र अमरेंद्र विरेन्द्रसिंह पिता रमेशचन्द्र जाति मराठा भूमि स्वामी	2251	8.3610	0.000	0.941	0.941
50	ज्ञानासिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति गेहलोत निवासी अख्यारपुर भूमि स्वामी	2516/1/1	0.6970	0.000	0.058	0.058
51	कंदारसिंह पिता गंगाराम, मुकेश पिता जगन्नाथ जगन्नाथ पिता नरबतसिंह रामराज मेवाडा पिता केदारसिंह मानसिंह पिता जगन्नाथ जाति गेहलोत निवासी अख्यारपुर भूमि स्वामी	2516/1/2	1.3930	0.000	0.126	0.126
52	राजीव पिता शिवाजीराव जाति मराठा	2516/2/1	1.3800	0.000	0.118	0.118
53	सिद्धनाथसिंह कंदारसिंह पिता गंगाराम जाति गेहलोत	2516/2/2	2.1740	0.000	0.118	0.118
योग:-				0.667	4.916	5.583

नोट:- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-135-भू-अर्जन-2025

धार, दिनांक 10 फरवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 1 में सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भवरिया, तहसील-कुशी, जिला-धार में सड़क निर्माण से प्रभावित निजी भूमि जिसका क्रषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

तहसील-कुशी, जिला-धार

ग्राम भवरिया

स.क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	ग्राम भवरिया तहसील-कुशी, जिला-धार में सड़क निर्माण से प्रभावित होने से	0.770	0	0.770
	कुल	0.770		0.770

अनुसूची (2)

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भवरिया, तहसील-कुशी, जिला-धार की प्रभावित भूमि का विवरण

स.क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	भगवान, राधाबाई, अम्बाराम, सानु, मनु पिता गेन्दालाल जाति भिलाला पता भवरिया कुशी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	263	2.400	0.000	2.400	0.150	0.000	0.150
2	काल्या पिता सात्या जाति भारूड पता भवरिया कुशी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	265	4.380	0.000	4.380	0.090	0.000	0.090
3	श्री नील कन्देश्वर महादेव मंदिर प्रबंधक श्रीमान कलेक्टर महोदय धार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	287	9.563	0.000	9.563	0.530	0.000	0.530
	कुल योग:-		16.343	0.000	16.343	0.770	0.000	0.770

प्र.क्र.-137-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 1 में सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम गेहलगांव, तहसील-कुक्षी, जिला-धार में सड़क एवं नाली निर्माण से प्रभावित निजी भूमि जिसका क्रषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम गेहलगांव

तहसील-कुक्षी, जिला-धार

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	ग्राम गेहलगांव, तहसील-कुक्षी, जिला-धार में सड़क एवं नाली निर्माण से प्रभावित होने से	0.076	0	0.076
	कुल	0.076		0.076

अनुसूची (2)

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम गेहलगांव, तहसील-कुक्षी, जिला-धार की प्रभावित भूमि का विवरण

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	मोहन पिता गंगाराम जाति कुलमी पता पुरा कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	36/3/1	0.377	0.000	0.377	0.017	0.000	0.017
		38/2	0.445	0.000	0.445	0.019	0.000	0.019
		40/1	0.320	0.000	0.320	0.016	0.000	0.016
	योग:-		1.142	0.000	1.142	0.052	0.000	0.052
2	तुलसीराम पिता गंगाराम जाति कुलमी पता गेहलगांव कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	40/2	1.020	0.000	1.020	0.008	0.000	0.008
3	रामेश्वर पिता गंगाराम जाति कुलमी पता पुरा कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	40/3	1.548	0.000	1.548	0.008	0.000	0.008
4	रश्मिकान्त, राजेन्द्र कुमार, प्रवीण कुमार पिता फुलचन्द जाति महाजन पता चिखल्दा धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	41/3/1	2.961	0.000	2.961	0.008	0.000	0.008
	कुल योग:-		6.671	0.000	6.671	0.076	0.000	0.076

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्र.-120-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2026-रा.मा.क्र. -0034-अ-82-2024-25

नरसिंहपुर, दिनांक 13 फरवरी 2026

प्रारूप V

(नियम 10 देखें)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थान घोषणा का प्रकाशन

सचिव, राजस्व विभाग

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन शेर सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम-सालीवाडा प.ह.नं. 87 नं.ब.- 560 तहसील- नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 17.681 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 17.681 हेक्टेयर है ग्राम सालीवाडा तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में हैं, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

ग्राम-सालीवाडा प.ह.नं. 87 नं.ब.-560 तहसील-नरसिंहपुर

सं. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	कंधई पिता चंदर सिंह गौड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/1-- 99/1-- 100/1	0.142
2	भुवानी प्रसाद पिता कोमल जाति गौड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/2(S)	0.105
3	नवल सिंह पिता कोमल जाति गौड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/3(S)	0.122
4	भावसिंह पिता कोमल जाति गौड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/4(S)	0.085
5	कमल सिंह पिता चंदर जाति गौड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/8-- 99/5-- 100/6	0.142
6	दिनेश पिता छिदामीलाल गौड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/9-- 99/6-- 100/7	0.184
7	शिवकुमार पुत्र नन्हू जाति गौड पता मगरा, दलपतपुर सागर, सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103(S)	0.696
8	कंधई पिता फुल्लू जाति गौड पता सेठपिपरिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104/1(S)	5.459

9	छिदामीलाल पिता फुल्लू जाति गोंड पता सेठपिपरिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104 / 2(S)	1.214
10	गिरानी पिता फूल सिंह जाति गोंड पता सेठपिपरिया नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	106(S)	0.650
11	कालीचरण पुत्र शंकरलाल गोंड जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107 / 1 / 1(S)	0.280
12	शोभाराम, रहन्तोवाई पिता गिरवर जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107 / 2(S)	0.400
13	मेर सिंह पिता चेताराम जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	127 / 3, (S) 128 / 3	0.300
14	धनीराम पिता डब्बू अहीर पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	129 / 1(S)	0.384
15	मुंगाराम पिता डब्बू अहीर पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	129 / 2(S)	0.546
16	लक्ष साहू नाबालिक पुत्र जितेंद्र कुमार साहू संरक्षक जितेंद्र कुमार साहू पता भौती नरसिंहपुर, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	129 / 3(S)	0.470
17	पंचम सिंह पिता बैसाखू जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	133 / 1(S)	1.000
18	चेतराम पिता पिता बैसाखू जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	133 / 2(S)	1.721
19	रामसेवक पिता सुखराम जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	196(S)	0.376
20	छोटेलाल पिता रामलाल अहीर पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	197 / 2(S)	0.100
21	मंगोबाई बेवा बक्कू गुलाबसिंह पिता वक्कू हीराबाई, गुडडीबाई पिता वक्कू जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	213 / 2(S)	0.175
22	परषोत्तम पिता लक्ष्मन जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	214(S)	0.650
23	इंदर, पूरनलाल, नेतराम, तिलक पिता उमरसिंह गोंड जाति गोंड पता सालीवाडा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	215(S)	1.280
24	मनीराम पिता अमनलाल जाति गोंड पता मेंढा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	219(S)	1.200
कुल योग				17.681

- यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। जिसमें खसरा नं. 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6 तथा खसरा नं. 129/1, 129/2, 129/3 नक्शे में पृथक-पृथक बटांकन होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा प्रत्येक बटांक नं. का रकबा त्रुटि करवाया गया जो प्रारूप में दर्ज है।
- कार्यपालन यंत्री पेचं व्यवर्तन जलसंसाधन संभाग क्रं. 01 चौरई जिला छिंदवाडा के द्वारा प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- शेर सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्क्रीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह तत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2026

क्रमांक-यूडीएच/3/0014/2026/18-5 - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3265/टीसी/25/सीहोर/उपा-क/नगानि/2025 भोपाल दिनांक 29/09/2025 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार सीहोर विकास योजना, 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग	उपांतरण पश्चात प्रस्तावित भू उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1	ग्राम जहागीरपुर तहसील एवं जिला सीहोर म.प्र.	212/2	5 423	5 409	कृषि	औद्योगिक
2		214/2/1	5 893	4 708		
		217/2	0 081	0 081		
4		240/1	2 000	1 907		
5		240/2	4 572	4 306		
6		242	8 664	8 664		
7		243/1	8 244	8 244		
8		289/215/1	0 731	0 574		
	कुल रकबा		35 608	33 893		

शर्त :-

1. सीहोर विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित 30.00 मीटर सड़क को यथावत रखा जाना आवश्यक होगा।
2. ग्राम जहागीरपुर की प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 212/2 एवं 214/2/1 के मध्य में से एवं खसरा क्रमांक 212/2, 242 एवं 243/1 के पश्चिम एवं दक्षिण सीमा से लगकर राजस्व अभिलेख अनुसार ग्राम हस्नाबाद से बडनगर की ओर जाने वाला शासकीय रास्ता है। अतः नियोजन की दृष्टि से शासकीय रास्ते की न्यूनतम प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर रखना आवश्यक होगा एवं शासकीय रास्ते के मध्य से दोनों ओर 6.00 मीटर 6.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
3. आवेदित भूमि की पूर्वी सीमा दो ग्रामों जहागीरपुर एवं बडनगर की ग्राम सीमा है। अतः इन ग्रामों की सीमा पर नियोजन की दृष्टि से 18.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग रखना आवश्यक होगा एवं ग्रामों की सीमा के मध्य से दोनों ओर 9.00 मीटर 9.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
4. आवेदित भूमि के उत्तर एवं पश्चिम दिशा से लगकर राजस्व अभिलेख के अनुसार शासकीय नाला है। अतः नाले के किनारे से दोनों ओर 9.00 मीटर 9.00 मीटर भूमि वृक्षारोपण हेतु खुली रखना अनिवार्य होगा।
5. प्रश्नाधीन भूमि में से विद्युत लाईनें गुजरती हैं। अतः म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 52 के अनुसार विद्युत लाईन से नियमानुसार न्यूनतम खुला क्षेत्र अथवा संबंधित विभाग के नियमानुसार जो भी अधिक हो खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा तथा विद्युत लाईनों के पास छोड़ी गई खुली भूमि में एवं उसके नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
6. किसी भी प्रकार का प्रदूषण नाला में फैलाना मान्य नहीं होगा।
7. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।
8. स्थल पर विद्यमान कुओं का संरक्षण किया जाना आवश्यक होगा।
9. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभागों के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. सीहोर विकास योजना, 2031 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त उपांतरण सीहोर विकास योजना, 2031 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव,

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2026

क्र. B-975-एक-7-3-2025-भाग-एक.-उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2026 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है :-

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	हजरत अली का जन्म दिवस	03 जनवरी 2026	शनिवार
2.	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस	06 जनवरी 2026	मंगलवार
3.	मकर संक्रांति/पोंगल	14 जनवरी 2026	बुधवार
4.	हेमू कालाणी का शहीदी दिवस	21 जनवरी 2026	बुधवार
5.	बसंत पंचमी	23 जनवरी 2026	शुक्रवार
6.	देव नारायण जयन्ती	24 जनवरी 2026	शनिवार
7.	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस	31 जनवरी 2026	शनिवार
8.	शब-ए-बारात	03 फरवरी 2026	मंगलवार
9.	महर्षि दयानन्द सरस्वती का जन्म दिवस	12 फरवरी 2026	गुरुवार
10.	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	19 फरवरी 2026	गुरुवार
11.	भाई दूज	05 मार्च 2026	गुरुवार
12.	टोडरमल जयन्ती	18 मार्च 2026	बुधवार
13.	चैती चांद/जमात-उल-विदा/ईद-उल-फितर (के ठीक पूर्व का दिवस)/वीरांगना अवतिबाई का बलिदान दिवस	20 मार्च 2026	शुक्रवार
14.	निषादराज जयन्ती	23 मार्च 2026	सोमवार
15.	हाटकेश्वर जयन्ती	01 अप्रैल 2026	बुधवार
16.	विशु	15 अप्रैल 2026	बुधवार
17.	अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती	20 अप्रैल 2026	सोमवार
18.	शंकराचार्य जयन्ती (एकात्मता दिवस/दार्शनिक दिवस)	22 अप्रैल 2026	बुधवार
19.	श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव	23 अप्रैल 2026	गुरुवार
20.	केवट जयन्ती	15 मई 2026	शुक्रवार
21.	ईद-उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)	26 मई 2026	मंगलवार
22.	गदीर-ए-खुम	05 जून 2026	शुक्रवार
23.	महाराणा प्रताप जयन्ती/छत्रसाल जयन्ती	17 जून 2026	बुधवार
24.	महेश जयन्ती	23 जून 2026	मंगलवार
25.	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस योम-ए-अशुरा	24 जून 2026	बुधवार
26.	बड़ा महादेव पूजन	27 जून 2026	शनिवार
27.	कबीर जयन्ती	29 जून 2026	सोमवार
28.	रथयात्रा	16 जुलाई 2026	गुरुवार

(1)	(2)	(3)	(4)
29.	गुरु पूर्णिमा	29 जुलाई 2026	बुधवार
30.	दुर्गादास राठौर जयन्ती	13 अगस्त 2026	गुरुवार
31.	नागपंचमी	17 अगस्त 2026	सोमवार
32.	गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती	19 अगस्त 2026	बुधवार
33.	ओणम	26 अगस्त 2026	बुधवार
34.	बलराम जयन्ती	02 सितम्बर 2026	बुधवार
35.	विश्वकर्मा जयन्ती	17 सितम्बर 2026	गुरुवार
36.	नवाखाई/राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस.	18 सितम्बर 2026	शुक्रवार
37.	तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी	21 सितम्बर 2026	सोमवार
38.	डोलग्यारस	22 सितम्बर 2026	मंगलवार
39.	अनंत चतुर्दशी	25 सितम्बर 2026	शुक्रवार
40.	डॉ. सैयदना साहब का जन्मदिवस	01 अक्टूबर 2026	गुरुवार
41.	प्राणनाथ जयन्ती	09 अक्टूबर 2026	शुक्रवार
42.	महर्षि वाल्मीकी जयन्ती/महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.	26 अक्टूबर 2026	सोमवार
43.	करवाचौथ पर्व	29 अक्टूबर 2026	गुरुवार
44.	भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती	16 नवम्बर 2026	सोमवार
45.	नामदेव जयन्ती	20 नवम्बर 2026	शुक्रवार
46.	विश्व विकलांग दिवस	03 दिसम्बर 2026	गुरुवार
47.	क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस	04 दिसम्बर 2026	शुक्रवार
48.	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस	14 दिसम्बर 2026	सोमवार
49.	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	16 दिसम्बर 2026	बुधवार
50.	गुरु घासीदास जयन्ती	18 दिसम्बर 2026	शुक्रवार
51.	दत्तात्रय जयन्ती	23 दिसम्बर 2026	बुधवार
52.	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	31 दिसम्बर 2026	गुरुवार

- (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 52 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.
- (2) मुख्यपीठ जबलपुर पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 52 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.
- (3) खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहाँ के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

क्र. B-977-एक-7-3-2025-भाग-एक.-उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के जिला न्यायपालिका के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2026 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है :-

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस	06 जनवरी 2026	मंगलवार
2.	मकर संक्रांति/पोंगल	14 जनवरी 2026	बुधवार
3.	हेमू कालाणी का शहीदी दिवस	21 जनवरी 2026	बुधवार
4.	बसंत पंचमी	23 जनवरी 2026	शुक्रवार
5.	देव नारायण जयंती	24 जनवरी 2026	शनिवार
6.	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस	31 जनवरी 2026	शनिवार
7.	शब-ए-बारात	03 फरवरी 2026	मंगलवार
8.	महर्षि दयानन्द सरस्वती का जन्म दिवस	12 फरवरी 2026	गुरुवार
9.	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	19 फरवरी 2026	गुरुवार
10.	होली (होलिका दहन)	02 मार्च 2026	सोमवार
11.	भाई दूज	05 मार्च 2026	गुरुवार
12.	टोडरमल जयन्ती	18 मार्च 2026	बुधवार
13.	निषादराज जयन्ती	23 मार्च 2026	सोमवार
14.	हाटकेश्वर जयन्ती	01 अप्रैल 2026	बुधवार
15.	महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती	11 अप्रैल 2026	शनिवार
16.	वल्लभाचार्य जयन्ती	13 अप्रैल 2026	सोमवार
17.	विशु	15 अप्रैल 2026	बुधवार
18.	अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती	20 अप्रैल 2026	सोमवार
19.	शंकराचार्य जयन्ती (एकात्मता दिवस/दार्शनिक दिवस)	22 अप्रैल 2026	बुधवार
20.	श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव	23 अप्रैल 2026	गुरुवार
21.	केवट जयन्ती	15 मई 2026	शुक्रवार
22.	ईद-उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)	26 मई 2026	मंगलवार
23.	गदीर-ए-खुम	05 जून 2026	शुक्रवार
24.	महाराणा प्रताप जयन्ती/छत्रसाल जयन्ती	17 जून 2026	बुधवार
25.	महेश जयन्ती	23 जून 2026	मंगलवार
26.	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस/योम-ए-अशुरा	24 जून 2026	बुधवार
27.	बड़ा महादेव पूजन	27 जून 2026	शनिवार
28.	कबीर जयन्ती	29 जून 2026	सोमवार

(1)	(2)	(3)	(4)
29.	रथ यात्रा	16 जुलाई 2026	गुरुवार
30.	गुरु पूर्णिमा	29 जुलाई 2026	बुधवार
31.	दुर्गादास राठौर जयन्ती	13 अगस्त 2026	गुरुवार
32.	नागपंचमी	17 अगस्त 2026	सोमवार
33.	गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती	19 अगस्त 2026	बुधवार
34.	ओणम	26 अगस्त 2026	बुधवार
35.	बलराम जयन्ती	02 सितम्बर 2026	बुधवार
36.	विश्वकर्मा जयन्ती	17 सितम्बर 2026	गुरुवार
37.	नवाखाई/राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस	18 सितम्बर 2026	शुक्रवार
38.	तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी	21 सितम्बर 2026	सोमवार
39.	डोलग्यारस	22 सितम्बर 2026	मंगलवार
40.	अनंत चतुर्दशी	25 सितम्बर 2026	शुक्रवार
41.	डॉ. सैयदना साहब का जन्मदिवस	01 अक्टूबर 2026	गुरुवार
42.	प्राणनाथ जयन्ती	09 अक्टूबर 2026	शुक्रवार
43.	महर्षि वाल्मीकी जयन्ती/महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव	26 अक्टूबर 2026	सोमवार
44.	करवाचौथ पर्व	29 अक्टूबर 2026	गुरुवार
45.	भाईदूज	11 नवम्बर 2026	बुधवार
46.	भगवान सहस्रबाहु जयन्ती	16 नवम्बर 2026	सोमवार
47.	नामदेव जयन्ती	20 नवम्बर 2026	शुक्रवार
48.	विश्व विकलांग दिवस	03 दिसम्बर 2026	गुरुवार
49.	क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस	04 दिसम्बर 2026	शुक्रवार
50.	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस	14 दिसम्बर 2026	सोमवार
51.	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	16 दिसम्बर 2026	बुधवार
52.	गुरु घासीदास जयन्ती	18 दिसम्बर 2026	शुक्रवार
53.	दत्तात्रय जयन्ती	23 दिसम्बर 2026	बुधवार
54.	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	31 दिसम्बर 2026	गुरुवार

- (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 54 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.
- (2) जिला न्यायपालिका की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहाँ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
धरमिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

क्र. D-120-दो-2-128-2017.—श्रीमती संगीता यादव, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत निम्नानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. दिनांक 10 अक्टूबर 2021 से 09 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. दिनांक 10 अक्टूबर 2023 से 09 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-124-दो-2-51-2020.—श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J), निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 जनवरी से 07 फरवरी 2026 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J), निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J), के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2026

क्र. C-552-दो-2-33-2019.—श्री गौरव कुमार सिंह, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (आईटी सेक्शन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 09 से 13 फरवरी 2026 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार सिंह, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (आईटी सेक्शन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौरव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (आईटी सेक्शन) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
आशीष तिवारी, डी.आर.—कम—पी.पी.एस.

Jabalpur, the 21st January 2026

No. 328-JOC-002315.—WHEREAS, *vide* order no. 290/JOC-2315, dated 19th November 2025 Shri Rajaram Bhartiya, Principal District & Sessions Judge, Panna was placed under suspension with immediate effect and was directed that during pendency of departmental enquiry, his headquarters shall be at Panna.

As directed, now the headquarters of Shri Rajaram Bhartiya, the then Principal District & Sessions Judge, Panna (under suspension) shall be at Balaghat. Shri Rajaram Bhartiya is directed to submit his joining report at Balaghat.

By order of the High Court,
Sd/-

RAJENDRA KUMAR SHRAMA,
Principal Register (Vigilance).

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2026

क्र. D-207-दो-2-5-2023.— श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय, बैढ़न को दिनांक 12 से 19 नवम्बर 2025 तक की अर्जित अवकाश अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, दिनांक 2022 से दिनांक 2024 तक की ब्लॉक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3/(ए) 19/03/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666/इक्कीस-ब (एक) 2011 दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-212-दो-2-11-2024.-श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2025 तक, तीन दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 01 से 02 जनवरी 2026 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 01 से 02 जनवरी 2026 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/5561, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. D-214-दो-2-30-2023.-श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को दिनांक 05 से 07 जनवरी 2026 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 01 से 04 जनवरी 2026 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-217-दो-2-46-2023.-श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 09 से 12 जनवरी 2026 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-219-दो-2-46-2023.-श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 15 से 17 जनवरी 2026 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-653-दो-2-15-2023.-श्री शेख सलीम, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 05 जनवरी 2026 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त तथा दिनांक 05 से 10 जनवरी 2026 तक, छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शेख सलीम, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शेख सलीम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-655-दो-2-35-2021.- श्रीमती शशिकांता वैश्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 02 से 06 फरवरी 2026 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 से 08 फरवरी 2026 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकांता वैश्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहतीं।

क्र. C-532-दो-2-117-2017.- श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 15 से 17 जनवरी 2026 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. C-534-दो-2-57-2020.- श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 15 से 17 जनवरी 2026 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहतीं।

क्र. C-536-दो-2-48-2022.- श्रीमती संगीता मदान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 27 से 29 जनवरी 2026 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता मदान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता मदान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहतीं।

क्र. C-538-दो-2-05-2023.- श्री अतुल कुमार खंडेलवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2026 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खंडेलवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खंडेलवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. C-548-दो-2-15-2025.-श्री दिनेश प्रसाद मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को 12 से 17 जनवरी 2026 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जनवरी 2026 के एवं पश्चात् में 18 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश प्रसाद मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश प्रसाद मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-550-दो-2-32-2023.-श्री संजीव कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का एक दिन का अर्जित अवकाश तथा 25 दिसम्बर से 27 दिसम्बर 2025 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-554-दो-2-33-2023.-श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2025 तक, तीन दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 01 से 02 जनवरी 2026 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 01 से 02 जनवरी 2026 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, रजिस्ट्री आदेश कमांक ए/5561, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-556-दो-2-31-2023.-श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 02 से 06 फरवरी 2026 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 01 फरवरी 2026 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय सिंह कावछा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-203-चार-8-42-77-भाग-सोलाह.-श्री चन्द्रशेखर जायसवाल, तत्कालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में पंचम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मुरैना द्वारा स्वस्थता प्रारूप-4 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने से एवं अर्द्धवेतन अवकाश लेखे में पर्याप्त अवकाश शेष न होने से दिनांक 02 जून 2022 से 20 मई 2023 तक, तीन सौ तिरेपन दिवस की अवधि का एवं दिनांक 27 अगस्त से 08 नवम्बर 2023 तक, चौहत्तर दिवस की अवधि का कुल चार सौ सत्ताईस दिवस का अवैतनिक अवकाश, रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक ए/6747, दिनांक 29 सितम्बर 1996 के आलोक में स्वीकृत किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर जायसवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-205-दो-2-43-2020.-श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 09 से 11 फरवरी 2026 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 31 जनवरी 2026

क्र. C-627-दो-2-7-2019.—श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2025 तक, तीन के पूर्व स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में 26 से 28 दिसम्बर 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-629-दो-2-5-2020.—श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत निम्नानुसार दो-दो वर्ष की ब्लाक अवधियों के लिए तीस-तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-631-दो-2-41-2019.—श्री धीरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2025 से 2027 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक), 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. C-633-दो-2-38-2021.—श्री के.एल.बारिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 27 सितम्बर से 05 अक्टूबर 2025 तक की सार्वजनिक अवकाश अवधि में ब्लाक वर्ष दिनांक 01 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2027 तक की अवधि हेतु, एल.टी.सी. की सुविधा का लाभ लेने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक), 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 2 फरवरी 2026

क्र. A-444-दो-2-58-2017.—श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 09 से 14 फरवरी 2026 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के एवं पश्चात् में दिनांक 15 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-446-दो-2-33-2023.-श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 12 से 13 जनवरी 2026 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 3 फरवरी 2026

क्र. B-843-दो-2-44-2024.-श्री शरत चन्द्र सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 05 से 06 फरवरी 2026 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शरत चन्द्र सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शरत चन्द्र सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-845-दो-2-11-2024.-श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 22 से 28 जनवरी 2026 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को गण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-659-दो-2-7-2019.-श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 03 से 06 फरवरी 2026 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-662-दो-2-40-2020.-श्री पदमेश शाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 14 से 20 फरवरी 2026 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पदमेश शाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पदमेश शाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी 2026

क्र. C-704-दो-2-72-2025.-श्री राकेश कुमार गोयल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 24 से 27 नवम्बर 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार गोयल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राकेश कुमार गोयल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
आशीष तिवारी, डी.आर.-कम-पी.पी.एस.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2026

ORDER

क्र.ई-430953-2026-इक्कीस-ब (एक).-All employees/officials of the High Court of Madhya Pradesh and District Courts in the State of Madhya Pradesh, irrespective of their designation/name of post, working in the I.T. domain either as a regular employee or by means of outsourcing are permitted, as a one time measure, to participate in ongoing and future recruitment processes of technical cadre for the posts provided under the Madhya Pradesh District Technical Manpower (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2019 and the Madhya Pradesh High Court Technical Manpower (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2019, subject to the fulfilment of the required educational qualifications and all other requirements as stipulated in the High Court of Madhya Pradesh Service (Recruitment, General Conditions of Services, Conduct, Classification,

Control and Appeal) Rules, 2017, the Madhya Pradesh High Court Technical Manpower (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2019 and the Madhya Pradesh District Court Technical Manpower (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2019.

2. It is further directed that the maximum age limit for candidates shall be 5 years more than the age limit prescribed by the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department vide its Circular dated 4th July, 2019.

DHARMINDER SINGH, Registrar General.

मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 31 जनवरी 2026

क्र. B-480-स्था.-2026.-श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 22 दिसम्बर 2025 से 03 जनवरी 2026 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. 489-स्था.-2026.-श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल/डिप्टी रजिस्ट्रार (इंचार्ज), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 29 दिसम्बर 2025 से 03 जनवरी 2026 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 28 दिसम्बर 2025 से 04 जनवरी 2026 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के प्रारंभ में दिनांक 28 दिसम्बर 2025 एवं अंत में दिनांक 04 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल/डिप्टी रजिस्ट्रार (इंचार्ज), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार देशमुख, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
राजीव के. पाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

ग्वालियर, दिनांक 2 फरवरी 2026

क्र. 493-स्था.-2026.-श्री राजीव के. पाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 15 से 28 जनवरी 2026 तक, कुल चौदह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 14 जनवरी 2026 शाम से 29 जनवरी 2026 सुबह तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव के. पाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव के. पाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

नवीन कुमार शर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 10 फरवरी 2026

क्र.-अवकाश-174.-श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 22 से 29 जनवरी 2026 तक, आठ दिवस का अर्द्धवेतन अवकाश (Non - Medical Ground) स्वीकृत किया गया है। उक्त अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश खाते से दुगुनी विकलित की जाएगी।

अर्द्ध अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

**कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुरैना, मध्यप्रदेश**

मुरैना, दिनांक 23 जनवरी 2026

क्र.-78-लेखा अनु.-2026.-श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बाह, जिला मुरैना, दिनांक 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश 2033-2020-इक्कीस-ब (एक)-भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2020 समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब (एक)-2016, दिनांक 31 मार्च 2018 समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019, माननीय उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन क्रमांक ए-2383, जबलपुर, दिनांक 11 मई 2023 के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2025 को (संचित अर्जित अवकाश 291 दिवस की पात्रता आती है एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश 18 दिवस के आधार पर) निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. अर्जित अवकाश	291
अर्द्धवेतन अवकाश	09
योग ..	300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

- (i) अर्जित अवकाश के = देय उपलब्धियों
एवज में भुगतान की मासिक दर
..... X समर्पित अवकाश के दिनों
30 की संख्या (291)
- (ii) अर्द्धवैतनिक अवकाश सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा
के एवज में नगद अवकाश वेतन अनुज्ञेय+मंहगाई भत्ता
भुगतान = ...X09
30

संगीता मदान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश.